

फर्द अहकाम  
गोपाल बनाम तहसीलदार

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी  
केस संख्या 38/2023 विधि

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1 <sup>3</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/3/24 को पेश है।	
	7 <sup>3</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/24 को पेश है।	
	14 <sup>3</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वाले 20/3/24 दिनांक 22/3/24 को पेश हो।	
	22/3/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वाले बहस दिनांक 4/4/24 को पेश हो।	
	4/4/24	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उप० पक्षकारान वकील ने पत्रावली पर बहस की। पत्रावली वाले निर्णय 12/4/2024 को पेश हो।	
	12/4/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० मूल शर्चना पत्र में धारा 11 CPC स्वीकार कर मूल श. पत्र 11, 13। खारिज किया गया इसलिए उक्त स्वयं गत शर्चना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः स्वयं गत श. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमांदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।	